जज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

श्री अजीज पुत्र श्री असीन कलाल बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र स्थगन नं. 240 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/10/22	यह प्रार्थना पत्र स्थगन प्रार्थी श्री अजीज पुत्र श्री असीन जाति कलाल निवासी जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू द्वारा स्वयं पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में श्री झण्डुराम पुत्र श्री भगवानाराम गुर्जर द्वारा कैवियट पेश की हुई है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन दर्ज रजिस्टर कर कैवियट कर्ता को रजिस्टर्ड नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी कैवियट कर्ता दिनांक 18.10.2022 को पेश हो। [signature] अति. जिला कलेक्टर झुन्झुनू	अजीज 18-10-2022 झण्डुराम
18/10/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं कैवियटकर्ता ~~प्रार्थी~~ स्वयं उपस्थित। विद्वान राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस स्थगन प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी का कथन है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2522/1042 कुल रकबा 4.05 हैक्टर में से 0.15 है. भूमि पर सैंकड़ों वर्ष पूर्व से पूर्वजों के समय से बनाये हुये मकानों में आबाद है प्रार्थी ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा शुदा भूमि पर पक्के मकान बनाकर आबाद है अतः दौराने अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28/9/22 की पालना स्थगित किये जाने का निवेदन किया। दौराने बहस [illegible] एवं कैवियटकर्ता का कथन है कि विवादित [illegible] वि. जसरापुर की [illegible] द्वारा प्रस्तुत पट्टे [illegible] भूमि आबादी भूमि नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत पट्टा जारी नहीं कर सकती। प्रार्थी / अपीलांट द्वारा [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:33 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	स्कूल को भूमि आवंटन के पश्चात अतिक्रमण किया गया है। अतः स्थगन प्रार्थना-पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। मैंने स्थगन प्रार्थना पत्र पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी / कैवियटकर्ता की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि राजकीय उ. मा. वि. जसरापुर को आवंटित भूमि है। जिसपर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बेदखली का आदेश पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई। जिससे विवादित भूमि पर उसका प्रथम दृष्टया कोई हक हो। भूमि राजकीय गैर मु. स्कूल भी होने से सुविधासंतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही होता है ऐसी स्थिति प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु तीनों प्रार्थी के विरुद्ध साबित होने से स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। स्थगन प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है आदेश सुनाया गया। पत्रावली शुमार हो कर हो कर दर्ज नम्बर से कम हो तथा मूल अपील के सलग्न हो। [signature] अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.11.02 13:12:33 IST
Reason: SelfAttested